covid 19 st

:: आदेश ::

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के सम्बन्ध में शासन के गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–15/2022–सीएक्स–3, दिनांक 04.01.2022, आदेश संख्या–69/2022–सीएक्स–3, दिनांक 09.01.2022, आदेश संख्या–70/2022–सीएक्स–3, दिनांक 10.01.2022 तथा आदेश संख्या–202/2022–सीएक्स–3, दिनांक 05.02.2022 के द्वारा समय–समय पर कतिपय दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं एंव कक्षा–9 से उच्चतर डिग्री कालेज तक शैक्षणिक संस्थान खोले जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनका अनुपालन जनपद मेरठ में कराए जाने हेतु तदनुसार आदेश जारी किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग–3, के आदेश संख्या–237/2022–सीएक्स–3, दिनांकित 11.02.2022 के अन्तर्गत प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत पूर्व में जारी आदेशों को संशोधित करते हुए निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में तदनुसार निर्देशों का अनुपालन जनपद मेरठ में किए जाने हेतु निम्नवत् आदेशित किया जाता है –

1– समस्त जिम खुले रहेंगें एंव स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क पूर्व की भांति बन्द रहेंगें।

2– रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेंट/फूड ज्वाइण्ट्स एंव सिनेमा हाल अपनी क्षमता के साथ संचालित होंगें। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एंव मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

3– नर्सरी/कक्षा–1 से लेकर समस्त शैक्षणिक संस्थान कोरोना गाइडलाइन्स यथा मास्क की अनिवार्यता एंव कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तथा समय–समय पर निर्गत अन्य निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दिनांक 14.02.2022 से अग्रिम आदेशों तक खुले रहेंगें।

4– समस्त सरकारी कार्यालय/निजी कार्यालय पूरी उपस्थित के साथ कार्य करेंगें एंव कार्यालय में कोविड हेल्पडेस्क अनिवार्य रूप से स्थापित किए जायें।

अतः सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का जनपद में कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

12/2

(के. बालाजी)
जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

Scanned with CamScanner

covid 19 st

आवश्यक / महत्वपूर्ण

:: आदेश ::

कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पान्स के सम्बन्ध में शासन के गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या–69/2022–सीएक्स–3, दिनांक 09.01.2022, के द्वारा प्रदेश में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के निर्देश निर्गत किए गए, जिसका अनुपालन जनपद में कराए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, गृह (गोपन) अनुभाग–3, लखनऊ के आदेश संख्या–258/2022–सीएक्स–3, दिनांकित 13.02.2022 के अन्तर्गत प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दरों में प्रभावी रूप से कमी होने के दृष्टिगत पूर्व में जारी निर्देश को संशोधित किया गया है, जिसके कम में तद्नुसार निर्देशों का अनुपालन जनपद मेरठ में किए जाने हेतु निम्नवत् आदेशित किया जाता है –

1– **दिनांक 14.02.2022 से रात्रि कालीन कर्फ्यू रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक लागू होगा।**

अतः सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों का जनपद में कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

(के. बालाजी)

Scanned with CamScanner